न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 09/18(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2018/00047

उनवान

1. ओमप्रकाश } पुत्रान
2. जयप्रकाश }
3. किरनदेई } पुत्रियान
4. शारदा }

} बाबूलाल जाति धाकड निवासी नगला अण्डुआ तहसील बयाना जिला भरतपुर।

5. श्रीमती शीला देवी
6. रामबिहारी पुत्र
7. कविता पुत्री

} स्व0 रतनलाल पुत्र बाबूलाल जाति धाकड नि0 नगला अण्डुआ तह0 बयाना जिला भरतपुर।

8. रामकुमार उम्र लगभग 16 साल पुत्र स्व0 रतनलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती शीला वेवा रतनलाल जाति धाकड निवासी नगला अण्डुआ तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरवक्श पुत्र प्यारे (प्यारे)
   - 1/1. रामनिवास
   - 1/2. मुरादी
   - 1/3. लक्ष्मीनारायन

   } पुत्रान स्व0 हरवक्श जाति ब्राहम्ण निवासी नगला झामरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. श्रीमती बुद्धो वेवा
3. रामा पुत्री

} .....रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 20.02.2018 प्र.सं 10/18 उनवानी हरवक्श बनाम रतनलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा, श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–28.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि नवीन बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 259 रकवा 0.83 है0 ग्राम सीदपुर तहसील बयाना का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी बाबूलाल पुत्र चिरंजी धाकड निवासी नगला अण्डुआ मजरा सीदपुर तहसील बयाना था। दिनांक 09.07.2002 को यह आराजी बाबूलाल ने जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र 01 लाख रूपये में प्रार्थी हरवक्श को विक्रंय कर दी। उसी दिन प्रार्थी ने समस्त विक्रय शुदा आराजी का दाखिल खारिज संख्या 207 दिनांक 26.09.2002 को ग्राम पंचायत सीदपुर द्वारा तस्दीक कर दिया गया। विक्रेता बाबूलाल के पुत्रो ने दिनांक 17.09.2002 को एक वाद विवादित आराजी एवं अन्य आराजी का सम्मिलित करते हुये विभाजन एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2002 को निरस्त करने का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रय पत्र को विक्रय पत्र ना मानते हुये रहननामा माना तथा यह तय किया कि विक्रेता बाबूलाल प्रार्थी क्रेता हरवक्श को 01 लाख 30 हजार मय ब्याज जुलाई 2005 तक अदा करेगा तथा क्रेता हरवक्श विक्रेता बाबूलाल के हक में पुनः विक्रय पत्र तस्दीक करेगा। यदि जुलाई 2005 तक उपरोक्त राशि मय ब्याज अदा नहीं की गई तो पुनः यह विक्रय पत्र ही माना जावेगा। राजीनामा की शर्तो की पालना में विक्रेता बाबूलाल ने उक्त राशि आज तक अदा नहीं की गयी है। अतः राजीनामा दिनांक 19.07.2002 स्वयं ही प्रभावहीन हो गया। जिस पर प्रार्थी हरवक्स ने उक्त दावे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) सीपीसी प्रस्तुत किया जो दिनांक 24.09.2002 का स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज कर दिया। वादी अपीलाण्ट द्वारा एक दावा विक्रय पत्र/रहननामा को निरस्त कराने हेतु सिविल कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया, वह भी खारिज हो गया एवं उसकी अपील भी माननीय उच्च न्यायालय तक खारिज हो चुकी हैं। अतः विक्रय पत्र दिनांक 9.07.2002 वर्तमान में वैध है। विक्रेता बाबूलाल ने एक अपील दाखिल खारिज संख्या 207 दिनांक 26.09.2002 के विरूद्ध पेश करने पर प्रार्थी की अनभिज्ञता में स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 207 दिनांक 26.09.2002 को निरस्त कर दिया। अतः प्रार्थी उक्त दाखिल खारिज संख्या 207 को पुनः बहाल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाखिल खारिज संख्या 207 को पुनः बहाल करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दाखिल खारिज संख्या 207 को बहाल कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने प्राथमिक आपत्ति उठाते हुये तर्क दिये कि हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण के संबंध में धारा 144 सीपीसी को स्वीकार किया है जो भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही है एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। हस्तगत आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 को न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। रैस्पो0 सभी न्यायालय यथा राजस्व एवं सिविल से जीत चुके हैं। विक्रय पत्र को सही माना है एवं किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है। अतः दाखिल खारिज को पुनः बहाल कराया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। धारा 144 का आदेश सीपीसी धारा 2 के तहत डिक्री माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश डिक्री की परिभाषा में आता है। अतः अपील 223 के अन्तर्गत पोषणीय है। गुणावगुण पर उनका कथन है कि नामान्तकरण संख्या 207 ग्राम पंचायत द्वारा चढाया गया है तथा बाबूलाल द्वारा अपील करने पर उक्त नामान्तकरण को अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया तथा उक्त आदेश की द्वितीय अपील रैस्पो0 द्वारा नहीं की गयी है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर नामान्तकरण निरस्त हो गया, जो अभी तक निरस्त रह्म है। रैस्पो0 को धारा 144 जा0दी0 के तहत अन्य न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध किये गये निर्णय एवं डिक्री के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। धारा 144 के तहत उन्हीं निर्णय के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जहॉ पूर्व के पारित निर्णय के तहत इंद्राजात दर्ज कर दिये गये हो तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय निरस्त कर दिया हो प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं है अतः धारा 144 जा0दी0 उक्त बिन्दुओ को नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील देने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दौराने बहस अपीलाण्ट इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि विवादित आराजी से संबंधित विभिन्न वाद, राजस्व न्यायालय, सिविल कोर्ट एवं माननीय उच्च न्यायालय तक निर्णित हो चुके हैं एवं सभी निर्णय उनके विरूद्ध पारित हुये हैं। अर्थात अपीलाण्ट के पिता बाबूलाल द्वारा किया गया विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी है। रैस्पो0 द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में तस्दीक नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 26.09.2002, जो दौराने वाद खारिज हो गया था, को पुनः बहाल करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 207 निर्णय दिनांक 26.09.2002 को पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट की वर्तमान अपील में यह आपत्ति रही है कि उक्त नामान्तकरण को प्रार्थना पत्र आदेश 144 जा0दी0 के तहत

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता। परन्तु उनके द्वारा कोई कानून अथवा न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत अपील में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हमारे मत में पूर्व में निरस्त हुये तस्दीक शुदा नामान्तकरण को प्रार्थना पत्र आदेश 144 से पुर्नस्थापित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 20.02.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर